भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 516

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की वार्षिक आय

516. सुश्री इकरा चौधरीः
एडवोकेट प्रिया सरोजः
श्री पुष्पेंद्र सरोजः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से कृषि और गैर-कृषि स्रोतों से अलग-अलग किसानों की औसत वार्षिक आय, राज्यवार और वर्ष-वार कितनी है;

(ख) 2014 से ऋणी किसान परिवारों की संख्या और अनुपात, कुल बकाया कृषि ऋण तथा फसल ऋण एवं अन्य उधारों के भाग का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दशक के रुझानों सहित प्रति कृषि परिवार औसत बकाया ऋण, राज्य-वार कितना है; और

(घ) क्या सरकार का स्वामीनाथन आयोग के न्यूनतम समर्थन मूल्य फार्मूला (सी2+50 प्रतिशत) को लागू करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विचाराधीन किन्हीं वैकल्पिक आय-आश्वासन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन आवधिक रूप से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित "कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। नवीनतम एनएसएस सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218/- रुपये प्रति माह अनुमानित है। कृषि परिवारों की आय विभिन्न स्रोतों से आंकी जाती है, जिनमें फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति (3,798/- रुपये), पशुपालन से शुद्ध प्राप्ति (1,582/- रुपये), मजदूरी से आय (4,063/- रुपये), गैर-कृषि व्यवसाय से शुद्ध प्राप्ति (641/- रुपये) और भूमि पट्टे पर देने से आय (134/- रुपये) शामिल हैं। इन स्रोतों का योगदान राज्यों में स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, खेतों के आकार और फसल पैटर्न के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। जुलाई, 2018 से जून, 2019 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषक परिवार की राज्यवार औसत मासिक आय का ब्यौरा **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): कृषक परिवारों के नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, प्रति कृषक परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 74,121/- रुपये है और कृषि वर्ष जुलाई, 2018 से जून 2019 के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कृषक परिवारों (9.3 करोड़) में से 50.2% ऋणी थे, जिसका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। एसएएस यह भी दर्शाता है कि ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिये गए थे, जिनमें कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय (25.9%), कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय (31.6%), गैर-कृषि व्यवसाय (3.9%), आवास (11.2%), विवाह एवं समारोह (6.4%), शिक्षा एवं चिकित्सा (5.4%), अन्य उपभोग व्यय (9.4%) और अन्य (6.2%) शामिल हैं।

(घ): प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को लागू करने के लिए, सरकार ने अपने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना पर पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में रखने की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक के मार्जिन पर किया गया है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति दशाओं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, साथ ही भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार किसानों के अधिकाधिक कल्याण और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियां, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), उत्पादन लागत के डेढ़ गुना पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम), स्टार्ट अप एवं ग्रामीण उद्यम के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर), एकीकृत कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम ई-नाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शामिल हैं।

अनुबंध I

"किसानों की वार्षिक आय" के संबंध में दिनांक 03.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 516 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार कृषि वर्ष जुलाई, 2018 से जून, 2019 के दौरान कृषि परिवारों की औसत मासिक आय

क्र.सं.	राज्य/ पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/ केंद्र शासित प्रदेशों का समूह	आय (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	10,480
2	अरुणाचल प्रदेश	19,225
3	असम	10,675
4	बिहार	7,542
5	छत्तीसगढ़	9,677
6	गुजरात	12,631
7	हरियाणा	22,841
8	हिमाचल प्रदेश	12,153
9	जम्मू और कश्मीर	18,918
10	झारखंड	4,895
11	कर्नाटक	13,441
12	केरल	17,915
13	मध्य प्रदेश	8,339
14	महाराष्ट्र	11,492
15	मणिपुर	11,227
16	मेघालय	29,348
17	मिजोरम	17,964
18	नागालैंड	9,877
19	ओडिशा	5,112
20	पंजाब	26,701
21	राजस्थान	12,520
22	सिक्किम	12,447
23	तमिलनाडु	11,924
24	तेलंगाना	9,403
25	त्रिपुरा	9,918
26	उत्तराखंड	13,552
27	उत्तर प्रदेश	8,061
28	पश्चिम बंगाल	6,762
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**16,863**
	केंद्र शासित प्रदेशों का समूह	**18,511**
	अखिल भारत	**10,218**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि जोत और पशुधन की स्थिति आकलन, 2019

अनुबंध-II

"किसानों की वार्षिक आय" के संबंध में दिनांक 03.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 516 के भाग (ख) एवं (ग) में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य/समूह केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य/समूह	प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपये में)	ऋणी कृषि परिवारों का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	2,45,554	93.2
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581	12.5
3	असम	16,407	31.0
4	बिहार	23,534	39.7
5	छत्तीसगढ़	21,443	31.2
6	गुजरात	56,568	42.5
7	हरियाणा	1,82,922	47.5
8	हिमाचल प्रदेश	85,825	29.2
9	जम्मू और कश्मीर	30,435	31.9
10	झारखंड	8,415	25.3
11	कर्नाटक	1,26,240	67.6
12	केरल	2,42,482	69.9
13	मध्य प्रदेश	74,420	48.4
14	महाराष्ट्र	82,085	54.0
15	मणिपुर	5,551	20.6
16	मेघालय	2,237	9.1
17	मिजोरम	23,485	8.0
18	नागालैंड	1,750	6.0
19	ओडिशा	32,721	61.2
20	पंजाब	2,03,249	54.4
21	राजस्थान	1,13,865	60.3
22	सिक्किम	32,185	10.6
23	तमिलनाडु	1,06,553	65.1
24	तेलंगाना	1,52,113	91.7
25	त्रिपुरा	23,944	47.7
26	उत्तराखंड	48,338	46.6
27	उत्तर प्रदेश	51,107	41.9
28	पश्चिम बंगाल	26,452	50.8
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**10,034**	**19.2**
	केंद्र शासित प्रदेशों का समूह	**25,629**	**27.5**
	अखिल भारत	**74,121**	**50.2**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और उनके भूमि एवं पशुधन स्वामित्व की स्थिति आकलन, 2019

******